

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर**

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं० :- 50/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सवाराम पुत्र भैराराम उम्र 68 कुम्हार निवासी जालोर तहसील व जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम**

उपस्थिति :-

1. श्री तेजसिंह बालावत वकील (प्रार्थी)
2. सरकारी वकील (अप्रार्थी)

**निर्णय**

दिनांक :- 01/7/2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा जालोर 'ए' के खसरा नं० 599, 600, 601, 602, 603, 654 कुल रकबा 4.40 हे० जालोर 'बी' खसरा नं० 6885/5977, 6887/5976 रकबा 1.57 हे० भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में शुद्धि कर प्रार्थी का नाम बुटाराम की जगह सवाराम पुत्र भैराराम कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का नोटिस पत्र तलब किया। अप्रार्थी तहसीलदार जालोर द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई।

तहसीलदार जालोर ने जवाब पेश कर प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया। तहसीलदार जालोर की रिपोर्ट के आधार पर जालोर 'ए' के खसरा नं० 599, 600 से 603, 654 एवं जालोर 'बी' के खसरा नं० 6885/5977, 6887/5976 की आधार/मिसल बंदोबस्त के खाता सं० 69 में भैरा वल्द रूपला कौम कुम्हार दर्ज है। तदपरांत भैरा के फौत के पश्चात मांगीलाल, बुटाराम पिता भैरा जरिये ना०सं० राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ। जिससे सवाराम की बजाय बुटाराम नाम दर्ज हो गया। साक्ष्य दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का सही नाम सवाराम है तथा राजस्व रेकार्ड में नाम बुटाराम नाम से दर्ज है।

प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हुआ है। वास्तविक बुटाराम की बजाय सवाराम पुत्र भैराराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना प्रथम दृष्टया उचित व न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी का नाम बुटाराम के स्थान पर सवाराम पुत्र भैराराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/7/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

01/7/19  
(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
(जालोर)

